Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-2(A)| February - 2026

Original Article

भारत में बच्चों के विरुद्ध अपराध एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ.देवेन्द्र कौर बग्गा

सहायक आचार्य, केसीएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन,मोहनलालगंज लखनऊ

Manuscript ID:
JRD -2026-180229
ISSN: 2230-9578
Volume 18
Issue 2(A)
Pp. 148-152
February - 2026
Submitted: 17 Jan. 2026
Revised: 27 Jan. 2026
Accepted: 12 Feb. 2026
Published: 28 Feb. 2026

सारांश

भारत विश्व स्तर पर 44 लाख की बाल जनसंख्या की आबादी वाला देश है भारत में हर चौथा व्यक्ति एक से चौदह वर्ष की आयु के मध्य का हैं बच्चें किसी भी देश का भविष्य होते है। बच्चें के कल्याण से ही समाज एवं देश का कल्याण जुड़ा हुआ है। बच्चों को एक स्वस्थ एवं शुद्ध वातावरण देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। बच्चों की समानता व अपराध व शोषण से उनका संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। वर्तमान समय में बच्चें किसी ना किसी रूप में अपराध का शिकार हो रहे है। ये अपराध उनके साथ घर, पड़ोस व स्कूल तथा समुदाय में अपनो व अजनबियों के द्वारा घटित किये जा रहे है। विश्व स्तर पर प्रति वर्ष दस में से दो बच्चें किसी ना किसी प्रकार की हिंसा व अपराध का शिकार होते ही है। भारत में अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के विरूद्ध किये जाने वाले अपराध को बच्चों के विरूद्ध अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार के अपराध बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास में अवरोध एवं भावनात्मक दुर्बलता के प्रभावी कारक के रूप में उत्पन्न होते है। अपराध के शिकार बच्चों का समाज में सामजंस्य टूटने लगता है वे एकांत में रहना पसंद करने लगते है। जिसका नकारात्मक प्रभाव उनकी शिक्षा पर पड़ता है। जिन बच्चों ने अपने जीवन में अपराधिक घटनाओं का सामना किया होता है ऐसे बच्चों में शिक्षा, रोजगार व आय प्राप्त करने की क्षमता उन बच्चों की तुलना में कम होती है जिनका बचपन सुरक्षित माहौल में बीता हुआ होता हैं।

मुख्य शब्द–*बच्चों के प्रति अपराध,हिंसा,दुर्व्यवहार,यौन उत्पीड़न, मनोवैज्ञानिक प्रभाव,बाल सुरक्षा सबंधी कानून,*

प्रस्तावना

बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते है यदि बच्चो का समाजीकरण एक भययुक्त परिवार व समाज में होगा तो वह बच्चा खुद को कभी भी सुरक्षित महसूस नही करेगा और ना ही उस बच्चें का शारारिक और मानसिक विकास अन्य बच्चों की भांति होगा। वर्तमान समय में बच्चे किसी ना किसी प्रकार के अपराध के शिकार अवश्य हो रहे है। अपराध के स्वरूप भिन्न–भिन्न प्रकार के हो सकतं है जैसे शारीरिक एवं मानसिक हिंसा,यौन शोषण,बच्चो की तस्करी से सबंधित व्यापार, बाल विवाह, आजकल ऑनलाईन माध्यम भी बच्चो को अपराध का शिकार बनाने का सरल साधन बन गया है। समाज में बच्चो के प्रति हो रहे अपराध के प्रति केवल एक कारक ही उत्तरदायी नही है बल्कि इसके प्रति अनेक कारक जिम्मेंदार होते है। इन कारको में बेरोजगारी, गरीबी, मद्यपान,माता–पिता में अलगाव,लिंग आधारित भेद करना एवं कानून के प्रति जागरूकता का ना होना इत्यादि प्रमुख कारक है। आज के युग में इंटरनेट इन अपराधो को और भी अधिक बढ़ावा देने का कार्य करता है। इसके सकारात्मक प्रभाव के साथ नकारात्मक प्रभाव भी सामने आते है। एक तरफ जहां बच्चो को शिक्षा घर बैठे प्राप्त होती है,एवं इससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। वही दूसरी तरफ ऑनलाईन ठगी,साईबर बुलिग, एवं यौन शोषण जैसे मामले भी बढ़ते जा रहे है। भारत सरकार के द्वारा बाल सुरक्षा हेतु अधिनियम भी बनाये गये है। जिनमें प्रमुख अधिनियम है बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012,किशोर न्याय अधिनियम 2015,बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986,राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इत्यादि।

प्रस्तावित अध्ययन का उद्देश्य बच्चो के प्रति हो रहे अपराध के कारणो का पता लगाना है एवं उसका बच्चो के मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है। समाज पर उसके क्या प्रभाव पड़ते है। इसके साथ ही उन अपराधो की रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा बच्चो की सुरक्षा हेतु कौन से कानून बनाये गये है। क्योकि एक स्वस्थ्य वातावरण में पला–बढ़ा बच्चा ही स्वंय एंव समाज तथा देश के विकास में सहयोगी होगा। प्रस्तुत शोध द्वितीयक स्त्रोतो पर आधारित है।

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations ae licensed under the idential terms.

Address for correspondence:
डॉ.देवेन्द्र कौर बग्गा, सहायक आचार्य, केसीएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन,मोहनलालगंज लखनऊ

How to cite this article:
बग्गा, . देवेन्द्र . कौर . (2026). भारत में बच्चों के विरुद्ध अपराध एक समाजशास्त्रीय अध्ययन. Journal of Research & Development, 18(2(A)), 148–152. https://doi.org/10.5281/zenodo.18934284

Quick Response Code:
Website: https://jrdrvb.org/
DOI: 10.5281/zenodo.18934284
OPEN ACCESS

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-2(A)| February - 2026

द्वैतीयक स्त्रोतो में नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो, वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाईजेशन, प्रमुख पुस्तको,शोध प्रत्रो, बाल शोषण रोकथाम के लिए बनाये गये कानूनो इत्यादि का विश्लेषण करके तथ्य सामाग्री को सम्मिलत किया गया है।

साहित्य की समीक्षा

दुर्खीम(1893)" द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसायटी" में आपके द्वारा बताया गया कि जब समाज के द्वारा बनाये गये मानको एवं मुल्यो का व्यक्ति अनुसरण अथवा पालन नही करता है। समाज के मानको एवं मूल्यो के विपरीत जाकर व्यवहार करने जगता है तब समाज में अपराध बढ़ता है।

मर्टन के अनुसार(1949)" में आपने अपनी पुस्तक "सोशल थ्योरी एवं सोशल स्ट्रक्चर" में विचलन का सिद्धांत की बात की है आपके अनुसार जब संसाधन कम मात्रा में होते है और प्रत्येक व्यक्ति उनको प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा होता है। तब यह असमानता समाज में अपराध को जन्म देने का कार्य करती है। निर्धनता एवं बेरोजगारी बच्चो के खिलाफ अपराध में वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारक है।

आहूजा(1992)" आपके द्वारा अपनी पुस्तक "सोशल प्राब्लम इन इड़िया" में समाज में पायी जाने वाली कुरीतियो जिनमें बाल विवाह,बाल मजदूरी,एवं लिंग के आधार पर किये जाने वाले भेदभाव आदि के कारणो में भारतीय समाज में पाई जाने वाली पितृसत्तात्मक व्यवस्था एवं गरीबी को प्रमुख रूप से उत्तरदायी माना है।

शर्मा (2001)" आपके द्वारा आपकी पुस्तक" भारत में बच्चों का उत्पीड़न" में विशेषतः बच्चो के साथ किये जाने वाले उत्पीड़न के प्रमुख स्वरूपो जिनमें मानसिक,शारीरिक एवं यौन सबंधी उत्पीड़न सम्मिलत है के कारणो पर प्रकाश ड़ाला गया है। आपके द्वारा यह भी बताया गया है कि बच्चों के खिलाफ बढ़ते हुए अपराध का सबसे बड़ा कारण लोगो को कानून के प्रति जागरूकता का ना होना एवं समाज के द्वारा मौन साधे रहना है।

टिटल (1995)" आपकी पुस्तक नियंत्रण संतुलन का सिद्धात में बच्चों के प्रति अपराध या किसी भी प्रकार के अपराध का प्रमुख कारण सत्ता एवं नियंत्रण में किसी भी प्रकार के असंतुलन का उत्पन्न होना है। बच्चो को आत्मनिर्भर ना होना किसी भी कार्य के लिए दूसरो पर उनकी निर्भरता उनको अपने प्रति किये जाने वाले उत्पीड़न एंव शोषण के प्रति कमजोर बनाती है।

मकवाना(2023)आपके द्वारा "इमर्जिग यूथ क्राइम इन इड़िया" पुस्तक में साइबर अपराध,मद्यपान,गैग संस्कृति का बढ़ता प्रचलन एवं लिंग के आधार पर किये जाने वाले अपराधों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। आपके द्वारा इन विषयो पर प्रकाशित अनेक रूोधप्रत्रो का भी विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसके द्वारा भारतीय समाज में सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप जो परिवर्तन आ रहे है उनपर प्रकाश डाला गया है। आपके द्वारा इस पुस्तक में यह भी बताया गया है कि किस प्रकार डिजिटल मीडिया एवं समाज में बढ़ती हुई लैंगिक भेदभाव की प्रवृत्ति अपराध में बढ़ावा देने का कार्य करती है।

परक्कल एवं पणिक्कर(2019)"चिल्ड्रेन एंड क्राइम इन इड़िया, काजेस नेरेटिव्स एंड इंटरवेन्शन"इस पुस्तक में आपके द्वारा बच्चो के प्रति होने वाले अपराध के मुख्य स्वरूपो बच्चो की तस्करी,यौन उत्पीड़न, बच्चो का शोषण इत्यादि पर विस्तारपूर्वक प्रकाश ड़ाला गया है। आपके द्वारा नगरीकरण,माता–पिता का तलाक,समाज में पाई जाने वाली असमानताओ को अपराध का प्रमुख कारण माना है। इस पुस्तक में आपके द्वारा बच्चों के स्वंय के अनुभवो को भी सम्मिलत किया गया है। आपके द्वारा कानूनी प्रावधानो एवं उनके पुर्नवास की व्यवस्था में सुधार को महत्वपूर्ण उपाय के रूप में माना गया है।

मेहता(2004)"चाईल्ड सेक्चुअल एब्यूज इन इड़िया"आपके द्वारा लिखित इस पुस्तक में बच्चों के प्रति होने वाले यौन उत्पीड़न की विस्तारपूर्वक व्याख्या की गई है। आपके अनुसार बच्चो के साथ यौन शोषण करने वाले अपराधी कही बाहर से नही आते बल्कि वि उस बच्चें के ही करीबी सबंधी या परिचित होते है यह अपराधी उस बच्चे के ही परिवार का कोई सगा सबंधी अथवा परिचित या समाज का ही कोई व्यक्ति होता हें जो कि उस बच्चे को भली भांति जानता है। आपके द्वारा उत्पीड़न के शिकार बच्चों के जीवन के अनुभवो समाज में उनके नाम पर कंलक एवं उन बच्चों को न्यायालय के द्वारा न्याय प्राप्त करने में आने वाली कठिनाईयो का भी विवरण प्रस्तुत किया गया है।

बेकर(1963)"आउटसाईडर्स स्टडीज इन द सोशियोलाजी ऑफ डेवियन्स" इस पुस्तक में आपके द्वारा लेबलिंग सिद्धांत की विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। आपके अनुसार समाज में जिन व्यक्तियो के नाम पर अपराधी होने का कंलक लग जाता है वह फिर कभी उस समाज में रहकर एक सामान्य जीवन नही जी पाते है। फिर चाहे उस व्यक्ति ने अपराध ना भी किया हो केवल किसी झूठे केस में उसे फंसाया गया हो या फिर वह अपने अपराध की सजा काट क्यू ना आया हो। यह समाज फिर से समाज में उसे वह सम्मान नही देता है। उस व्यक्ति की पुर्नवास की संभावनाओ को पूरी तरीके से खत्म करके उस व्यक्ति को पुनः अपराध की दुनिया में ढ़केलने का कार्य करता है। इस प्रकार आपकी लेबलंग थ्योरी अपराध को भी किसी व्यक्ति की प्रतिकिया का परिणाम नही मानती बल्कि इसके लिए वह समाज को ही उत्तरदायी मानती है।

मात्जा(1964)"डेलिक्वेन्सी एंड ड्रिफ्ट" पुस्तक में आपके द्वारा इस बात पर प्रकाश ड़ाला गया है कि कोई भी बच्चा या किशोर प्रारंभ से ही अपराधी नही होता बल्कि वह किसी विशेष परिस्थिति में अपराधी बनता है उसकी यह अवस्था हमेंशा के लिए नही होती बल्कि किसी विशेष परिस्थिति का परिणाम मात्र होती है। जिसमें बच्चा अथवा किशोर अपने समाज के मानको एवं मूल्यो का अनुसरण ना करके समाज के विपरीत मूल्यो एवं मानदण्ड़ो का अनुसरण करते है। यह परिपेक्ष्य अपराधी को सुधारने की प्रकिया पर बल देता है। आपके अनुसार समाज की सहानुभूति,प्रेम व सामंजस्य की भावना से अपराधी को सुधार कर उसे समाज में पुनः उसकी खोई हंइ प्रतिष्ठा को वापिस लौटाया जा सकता है। जो बच्चा या किशोर किसी परिस्थितिवश अपराध कर बैठा हें उसे सुधरने का मौका समाज के द्वारा ही दिया जा सकता है।

अध्ययन के उद्देश्य

1.बच्चों के प्रति होने वाले अपराध के स्वरूप एवं प्रकारो का अध्ययन करना।
2.अपराध के प्रति उत्तरदायी कारको का विश्लेषण करना।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-2(A)| February - 2026

3.अपराध के प्रति परिवार एवं समाज की संवेदनशीलता किस प्रकार अपराध में वृद्धि करती है इसका विश्लेषण करना।
4.प्रशासन की शिथिलता अपराध के लिए उत्तरदायी कैसे है इसका अध्ययन करना।
5.बच्चो पर अपराध के मनोवैज्ञानिक प्रभावो का विश्लेषण करना।

बच्चो के प्रति हिंसा

सामान्यतः 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के साथ किया जाने वाला अपराध जो कि उस व्यक्ति के परिवारजनो,सबंधियो,एवं किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा अंजाम दिया जाता हें को बच्चो के प्रति अपराध के रूप में परिभाषित किया जाता है। विश्व भर की बाल अपराध की कई घटनाओ के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2024 में दो से सत्रह आयु वर्ग के तकरीबन एक अरब बच्चों के साथ शारीरिक,मानसिक एवं यौन सबंधी ंता भावनात्मक हिंसा कारित की गई है। किसी भी बच्चें के द्वारा बचपन में किसी भी प्रकार की हिंसा के अनुभव से गुजरना उसके आने वाले कल को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। सतत विकास हेतु 16.2 बच्चो को वर्ष 2030 तक शारीरिक,यौन सबंधी एवं भावनात्मक उत्पीड़न से उनको बचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बच्चो के प्रति किसे जाने वाले अपराधो पर लगाम लगायी जानी संभव है केवल उसके लिए उचित प्रयास किये जाने आवश्यक है।

बाल हिंसा अथवा दुर्व्यवहार के प्रकार

1.दुर्व्यवहार एवं उपेक्षा करना–बच्चे के साथ किया जाने वाला किसी भी प्रकार का शारीरिक,भावनात्मक एवं यौन सबंधी उत्पीड़न इस प्रकार के अपराध की श्रेणी में आता है। इस प्रकार की हिंसा अथवा अपराध बच्चो के स्वंय के परिवारजनो,विद्यालय,पड़ोसी,या अनजान व्यक्तियो के द्वारा की जाती है।
2.बच्चें को धमकी देकर ड़राना–धमकाना–इस प्रकार के अपराध आजकल साईबर अपराध के रूप में देखने को मिल रहे है जिससे बच्चे को धमकी देकर किसी कार्य को करवाया जाता है एवं डरा धमका कर रूपयो की वसूली भी की जाती हैं।
3.किशोरो द्वारा की जाने वाली हिंसा–इस प्रकार की हिंसा मुख्यतःदस से उन्तीस आयु वर्ग के बच्चों एवं किशोरो के मध्य की जाने वाली हिंसा है इस प्रकार की हिंसा में हथियारो जिनमें चाकू व बदुंके भी सम्मिलत है का प्रयोग अकसर देखने को मिलता है। इस प्रकार कह हिंसा गिरोह के रूप में भी की जाती है।
4.घरेलू हिंसा– इस प्रकार की हिंसा घर की चहारदीवारी के भीतर परिवार के ही किसी करीबी सदस्य के द्वारा अंजाम दी जाती है। बाल विवाह एवं अविवाहित किशोरो के मध्य होने वाली इस हिंसा को प्रचलित शब्द डेटिग हिंसा के नाम से भी संबोधित किया जाता है।
5.मानसिक एवं भावनात्मक हिंसा–इस प्रकार की हिंसा में बच्चें को डरा–धमका कर रखना,धमकिया देना एवं उसकी प्रत्येक गतिविधि को प्रतिबंधित करके स्वंय के अनुसार संचालित कराना है।
6.यौन हिंसा–बच्चों के साथ छेड़छाड़ व दुराचार करने का प्रयास करना इत्यादि यौन हिंसा के अर्न्तगत आते हैं
7.लिंग आधारित हिंसा– जब बच्चें के लिंग की जानकारी करने के बाद लड़का या लड़की इस आधार पर उसके साथ हिंसा की जाती हें तो उसे लैगिंक हिंसा कहा जाता है।

बच्चों पर आपराधिक हिंसा का प्रभाव

बच्चों के साथ की जाने वाली हिंसा का ना केवल उस बच्चें के मन–मस्तिष्क पर बल्कि परिवार,समाज एवं राष्ट्र के विकास पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। बच्चों के साथ की जाने वाली आपराधिक हिंसा के परिणाम निम्नांकित है।
1.मृत्यु– इस प्रकार की हिंसा की अधिकतर घटनाओं में मृत्यु की अधिकतम संभावना होती है। इसमें अपराधी एवं पीड़ित दोनो ही अधिकतर लड़के ही होते है। इस प्रकार की हिंसा में मुख्यतः हथियारो का इस्तेमाल किया जाता है।
2.गंभीर चोटे–इस प्रकार की हिंसा का अत्यधिक शिकार किशोर ही होते है। जिनमें से अधिकतर पुरूष ही हिंसा करते एवं उसका शिकार भी होते है इस प्रकार की हिंसा में वो अधिक घायल हो जाते है।
3.मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र का निम्न विकास–कम आयु में हिंसा के कारण बच्चों की संचार प्रणाली,प्रजनन व्यवस्था एवं शरीर की प्रजनन प्रणाली को बहुत ही अधिक नुकसान पहुंचता है। जिससे आगे चलकर बच्चों की बुद्रि के स्तर एवं शैक्षणिक एवं व्यवसायिक क्षेत्र में उनके सफल होने की संभावना बहुत ही कम रहती है।
4.स्वास्थ्य के लिए संकट एवं विचलनकारी व्यवहार– कम आयु में ही आपराधिक हिंसा का सामना करने वाले बच्चों में मादकद्रव्य व्यसन, कई तरीके के नशे करने की आदतो का विकास होने की संभावना अधिक बनी रहती है। इस कारण से ऐसे बच्चों में डिप्रेशन,मानसिक विकार की मात्रा में वृद्रि एवं आत्महत्या की दा अधिक होती है।
5.गंभीर रोगो से ग्रस्तता– इस प्रकार की हिंसा के शिकार बच्चों में कई सारी गंभीर बीमारियो की चपेट में आने की संभावना अधिक होती है। मोटापा,थायराईड,कैंसर,हार्ट अटैक ऐसी बीमारियो की जद में हिंसा या अपराध के शिकार बच्चे अधिक आते है।
6.भावी पीढ़ीयो एवं लक्ष्य प्राप्ति में संकट–जो बच्चे बचपन में किसी भी प्रकार के आपराधिक हिंसा के शिकार होते है ऐसे बच्चो की शिक्षा ,रोजगार प्राप्त करने एवं उसमें स्थिरता बनाये रखने में बहुत ही बाधाये आती है। जिसका प्रभाव केवल उसी बच्चे एवं उसके परिवार पर ना पड़कर उसकी आने वाली कई पीढ़ियो पर भी पड़ता है।

आपराधिक हिंसा के प्रमुख कारक निम्नाकिंत है।

(क)व्यक्तिगत आधार पर
1.लैगिंक विभाजन एवं आयु–लिंग के आधार पर किये जाने वाले अपराधों में सर्वाधिक लड़कियो के साथ यौन शोषण एवं दुराचार जैसी घटनाओ को अंजाम दिया जाता है। इस प्रकार के अपराधो में सर्वाधिक कम आयु के नासमझ बच्चो को आपराधिक हिंसा का शिकार बनाया जाता है।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-2(A)| February - 2026

2.शिक्षा का निम्नतम स्तर–जिन समाजो में एवं समुदाय अथवा परिवारो में परिवार के सदस्य अशिक्षित होते है या उनमें शिक्षा का बहुत ही निम्नतम स्तर होता है उन परिवारो के सदस्यो में अपराध करने की अधिक संभावना होती है।
3.आय का निम्न स्तर– जिन व्यक्तियो का जीविकापार्जन सरल नही होता एवं उनके जीवन जीने की मूलभूत आवश्यकताये भी पूर्ण नही हो पाती है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन की आवश्यकताओ की प्रतिपूत्ति के लिए अपराध का सहारा लेते है।उदा0– बच्चों का अपहरण ,दुष्कर्म इत्यादि।
4.मानसिक या शारीरिक विकलांगता– इस प्रकार की आपराधिक हिंसा उन व्यक्तियो के द्वारा अधिक की जाती है जो कि मानसिक अथवा शारीरिक विकलांगता का सामना अपने जीवन में कर रहे होते है।
5.गे,लेस्बियन या ट्रांसजेडर व्यक्तित्व से सबंधित व्यक्ति–ऐसे व्यक्तित्व के लोगो में बच्चो के प्रति अपराधिक हिंसा करने के मामले अधिक प्रकाश में आते है। इसका प्रमुखकारण यह है कि ऐसे व्यक्तित्व के लोग समाज में सामान्य नही माने जाते समाज उनको अलग नजरो से देखता है एवं सामाजिक दूरी बनाकर रखने का प्रयास करता है। इस कुठां के कारण इन व्यक्तियो में अपराध की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है।
6.नशे का आदी होना– नशे के शिकार व्यक्तियो के द्वारा भी बच्चो के प्रति की जाने वाली आपराधिक हिंसा की घटनाओं में वृद्धि देखी जा सकती है।
7.खुद कभी ना कभी हिंसा के शिकार व्यक्ति– जो लोग अपने जीवन में खुद कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार की हिंसा का शिकार हुए होते है ऐसे व्यक्तियो में अपराधी बनने की संभावना अधिक होती है।
(ख) परिवार के साथ धनिष्ठ सबंध के आधार पर
1.माता–पिता के बच्चें के साथ भावनात्मक सबंध का कम होना–जिन परिवारो में बच्चों का माता–पिता के साथ लगाव एवं भावनात्मक संबध कम होता है उन परिवार के बच्चों का अपराध की और आगे बढ़ने की अत्यधिक संभावना होती है।
2.उचित व मूल्यवान समाजीकरण की कमी–जिन बच्चों को उचित समाजीकरण यानि समाज के मूल्यो एवं मानको को अपने जीवन एवं व्यवहार में पालन करने सबंधी शिक्षा नही दी जाती है उनको सामाजिक मूल्यो के विपरीत मूल्यो सबंधी शिक्षा प्रदान की जाती है ऐसे बच्चो के अपराधी बनने की संभावना में वृद्धि हो जाती है।
3.माता–पिता में झगड़े व अलगाव–जिस परिवार में बच्चों के माता–पिता में अकसर लड़ाई–झगड़ा होता रहता है जिससे एक दोषपूर्ण एवं तनाव के माहौल में बच्चो का जीवन बीतता है। इस प्रकार के वातावरण में पले बच्चे में भी अपराध की और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति दिख सकती है।
4.कम आयु में विवाह अथवा जबरन विवाह–कम आयु में विवाह और पत्नी बच्चों की जिम्मेदारियो का अचानक व्यक्ति पर आ जाना उसे जीवन निवार्ह की आवश्यकताओ की पूर्त्ति के लिए अपराध की तरफ ढ़केलता है।
5.दोषपूर्ण संगति–जिन व्यक्तियो की मित्रता आपराधिक किस्म के व्यक्तियो के साथ होती है उनकी संगति का प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर भी पड़ता है और वे अपराध के मार्ग पर उनके साथ चल पड़ते है।
(ग)समुदाय के आधार पर
1.गरीबी–जिन परिवारो में गरीबी अधिक मात्रा में होती है उस परिवार के बच्चो में अपने जीवन यापन के लिए गलत मार्ग चुनने की प्रवृत्ति अधिक देखी जा सकती है।
2.जनसंख्या घनत्व का अधिक होना–जिस देश में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है वहां संसाधन बहुत ही सीमित मात्रा में होते है जो कि सम्पूर्ण जनसंख्या को समान मात्रा में प्राप्त नही हो पाते है जिस कारण से लोग अपनी आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए उन संसाधनो को प्राप्त करने के लिए अपराध का सहारा लेते है।
3.नशे व हथियारो की सरल उपलब्धता– नशे एवं आपराधिक कार्यो को अंजाम देने के लिए हथियार आसानी से प्राप्त हो जाना भी बच्चों को अपराध से ग्रसित एवं प्रताड़ित करने में सहायक सिद्व होता है।
4.मादक द्रव्यव्यसनो की गिरोह बनाकर तस्करी करना–गिरोह के रूप में आसान तरीके से नशे सबंधी पदार्थो की देश व विदेश में तस्करी की जाती है। जो कि अपराध में वृद्धि में सहायक होता है।
(घ) समुदाय के आधार पर
1.लिंग आधारित भेदभाव–लिंग के आधार पर किये जाने वाले भेदभाव समाज में हिंसा को स्वीकृति प्रदान करते है।
2.सामाजिक एवं आर्थिक असमानता– समाज में पाई जाने वाली किसी भी तरह की असमानता अपराध की प्रवृत्ति को जन्म देती है।
3.सुरक्षा का अभाव–समाज में सुरक्षा का कम या अभाव होना भी बच्चों के प्रति होने वाले अपराधो को बढ़ावा देने का कार्य करता है।
4.प्रशासन का लचीला होना एवं दुर्बल कानून व्यवस्था– किसी भी देश में अगर शासन प्रशासन लचीला या दुर्बल है अथवा कानून में कठोरता का अभाव है वहां पर भी बच्चों के प्रति अपराध की मात्रा अधिक पाई जाती है क्योकि वहां का कानून अपराध को रोकने में कारगर सिद्व नही होता है।

विश्व स्तर पर बच्चों के प्रति अपराध की रोकथाम सबंधी निम्न उपाय किये गये है।
बच्चों के प्रति होने वाले अपराधो को रोका जा सकता है इसके लिए परिवार,समुदाय,समाज एवं राष्ट्र स्तर पर कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दस अंतराष्ट्रीय एजेसियो के साथ में मिलकर INSPIRE नामक एक तकनीकि पैकेज का विकास किया है। इस पैकेज का लक्ष्य सतत विकास 16.2 के लक्ष्यो को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। इसका प्रत्येक शब्द एक रणनीति के तहत एक लक्ष्य को प्राप्त करने सबंधी उद्व श्य से इस्तेमाल किया गया है।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-2(A)| February - 2026

यह सात लक्ष्य इस प्रकार है।

1.बच्चों के प्रति अपराध की रोकथाम हेतु कानूनो का निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन जैसे हिंसामूलक व्यवहार का अवलोकन एवं उसपर प्रतिबंध लगाना तथा शराब एवं हथियारो तक पहूंच को सीमित करना।

2.समाज के उन मूल्यो में बदलाव लाना जो किशोरो के मध्य संघर्ष एवं लड़कियो के यौन उत्पीड़न को सही ठहराते है।

3.जनता को एक हिंसामुक्त वातावरण उपलब्ध कराना जिसके लिए हिंसाग्रस्त क्षेत्रो की पहचान करके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करना।

4.माता–पिता को बच्चें की देखभाल से सबंधित उचित प्रशिक्षण प्रदान करना।

5.आर्थिक स्थायित्व एवं लैगिंक समानता सबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना।

6.आपराधिक हिंसा से पीड़ित बच्चों के लिए तत्कालीन सहायता एवं मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने का प्रयत्न करना।

7.शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके बच्चें को विकास के पथ पर ले जाने का प्रयास करना

निष्कर्ष

द्वितीयक स्त्रोतो से प्राप्त तथ्यो के विश्लेषण से यह तथ्य हमारे समक्ष आता है कि बच्चों के प्रति अपराध राष्ट्रीय स्तर पर ही नही बल्कि अंतराष्ट्रीय स्तर पर भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इस कई सामाजिक,पारिवारिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारक इस घटना के लिए उत्तरदायी है। केवल कानूनी प्रावधानो के द्वारा इस घटना पर लगाम नही लगाई जा सकती है बल्कि समाज को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर लैगिंक भेदभाव को समाप्त करना होगा एवं परिवार को जागरूक रहना होगा कि उनके बच्चे जिनके सम्पर्क में आते है उन लोगो का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। बच्चो के मित्र,पड़ोसी एवं सगे सबंधियो की परख करना अपने बच्चो की सुरक्षा के लिए प्रत्येक माता–पिता का नैतिक दायित्व बनता है। इसके साथ ही परिवार को अपने बच्चो को भावनात्मक सर्पोट देना होगा जिससे बच्चा अपने मन की प्रत्येक बात अपने माता–पिता को बता सके। अगर इस प्रकार के प्रयत्न किये जाये तो बच्चो के प्रति होने वाले अपराधो की घटनाओ में कमी की जा सकती है।

संदर्भ

1. Anda,R.F.,Felitti,V.J,Bremner,J.D.,Walker,J.D.,Whitfield,C.,Perry,B.D.,…&Giles,WH.(2006). The enduring effects of abouse and related abverse experiences in childhood:A convergence of evidence from neurobiology and epidemiology.European Archives of Psychiatry and clinical Neuroscience,256(3),174-186.
2. Ahuja(1992)" social problems in india. Rawat publications.
3. Briere, J.(1992).Child abuse trauma: Theory and treatment of the lasting effects.sage publications.
4. Becker(1963)"Outsiders studies in the sociology of Deviance,Free press. The Macmilan company.
5. Choudhry,V.,&Dayal.,R(2018).Child abuse in india:Issue and concerns in india .Indian journal of psychiatry and psychiatry,60(Suppl 4,),S_{457} S_{463}.
6. Durkheim(1893)" The Division of labour in society.free press.
7. Dr.Alka pandey,et.al,(2024),Understanding The psychological Impact of child abuse :Exploring status And Right in india ,Educational Administration: Theory and practice,30(1),3264-3272.
8. Ennew, J.(1986) The Sexual Exploitation of Children.Polity Press,Oxford.
9. Finkelhor,D.(1984).Child sexual abuse: New theory and research.Free press.
10. Global prevalence of past-year violence against children: a systematic review and minimum estimates.Hillis S,Mercy J,Amobi A,kress H.pediatrics 2016;137(3):e20154079.
11. Goverment of India. (2009).The Right of Education Act ,2009.
12. Goverment of India. (2009).The right of Education Act,2009.
13. Goverment of India. (2013).Report on the national study on child abouse :india 2007 Ministry of Women and child Development .
14. Gil,D.G.(1970).Child abuse and neglect: The social and policy issues.oxford University press.
15. Helfer ,R.E.,& kempe , C.H.(1968). The battered child.University of Chicago Press.
16. Iball, D., and cooper ,D (1987) social work and child Abuse,Macmillan Press Ltd. London.
17. International catholic child Bureau (1991) The sexual Exploitation of children field Responses, ICCB,Geneva.
18. Merton(1949) social theory and social structure,The free press of glencal.
19. 19.Myers,J.E.B.(2002). Child maltreatment: An introduction. Sage publications.
20. Makwana (2023)"Emerging youth crime in india .Mittal publications .New Delhi.
21. Matza(1969)" The Delinquency & Drift. New york John wileys sons.
22. POCSO A.Protection of children from sexual offences (POCSO)Act,2012.
23. Parackal, panicker (2019)" Childern and crime in india ,Causes,Narratives,And interventions.palgrave Macmillan.
24. Singh,M.M,Goel,N.K.,Sharma,M.K.,& Bakshi,,R,K.(2019)Child abuse: A reality in india .indian Journal of pediatrics,86(8),707-711.
25. Sanobar,S (1972) A study of Victimised Girls in the Remand Home,Umerkhadi Bombay.
26. Tittle (1995)"Control Balance: Toward A Genral theory of Deviance.Bouldsr colo; westview.
27. UNICEF.(2014).Hidden in plain sight: A Statistical Analysis of violence Against Children.
28. Widom,C.S.(1989). The cycle of violence .science press.